भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1994
29.11.2019 को उत्तर के लिए

पर्यावरण संरक्षण के उपाय

1994. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान झारखंड के गिरिडीह में सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), दामोदर घाटी निगम (डीवीसी), तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) और इस्पात विनिर्माण कंपनियों जैसी औद्योगिक इकाइयों ने अपने संयंत्रों/इकाइयों में किए जा रहे सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण उपायों के अनुपालन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिकारियों की सांठगांठ से इन कंपनियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उपायों के अनुपालन में अनियमितता के कोई मामला प्रकाश में आया हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क(और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में तीन इस्पात निर्माण कंपनियों को पांच पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है। इन पर्यावरणीय स्वीकृतियों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया **है।** पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान, निम्नलिखित कंपनियों की अर्ध:वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट उपलब्ध है-

i. मैसर्स शिवम आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड का एकीकृत इस्पात संयंत्र - दिसंबर, 2017 की अवधि के लिए।

ii. मैसर्स अतिबीर इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड का एकीकृत इस्पात संयंत्र- मार्च, 2016, मार्च, 2017 और दिसंबर, 2018 की अवधि के लिए।

(ग(और (घ) इन उद्योगों की पर्यावरणीय मापदंडों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ), रांची और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा (सीपीसीबी) निगरानी की गई। इन निरीक्षणों के दौरान मापदंडों के उल्लंघन के मामले पाए गए। तदनुसार, इस संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण नीचे दिया गया है:

i. मैसर्स शिवम आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड- क्षेत्रीय कार्यालय की रिपोर्ट के आधार पर, प्रस्ताव को उल्लंघन श्रेणी के तहत माना गया है और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत कठोर कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया है।

ii. मैसर्स अतिबीर इण्डस्ट्रीज कंपनी लि.- क्षेत्रीय कार्यालय की रिपोर्ट के आधार पर, मापदंडों के उल्लंघन पर सुधारात्मक कार्य योजना शुरू की गई है।

iii. मैसर्स सलूजा स्टील एंड पावर प्रा.लि.- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिनांक 07.05.2018 को उद्योग को बंद करने का निर्देश जारी किया गया था, जिसे अनुपालन रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् दिनांक 15.01.2019 रद्द कर दिया गया।

*****

अनुबंध

जिला- गिरिडीह, झारखंड में इस्पात विनिर्माण कंपनियों की सूची जिन्हें पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई (ईसी)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कंपनी
	मौजूदा डीआरआरआई का 60,000 टन प्रति वर्ष से 180,000 टन प्रति वर्ष तक विस्तार, और एसएमएस में 138,700 स्टील बिलेट्स का निर्माण, टीएमटी छड़ों की 100,000 टन प्रति वर्ष में रोलिंग और डीआरआई केआई से वेस्ट हीट रिकवरी को 15 मेगावाट विद्युत उत्पादन से जोड़ना।	सलूजा स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
	मेसर्स शिवम आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के एकीकृत स्टील संयंत्र का इसे मौजूदा 0.07 एमटीपीए बिलेट्स, 0.0048 एमटीपीए सेक्शनों और 0.027 एमटीपीए फेरो एलॉय प्लांट से 0.054 एमटीपीए टीएमटी बार, 0 तक विस्तार एवं परिवर्तन।	शिवम आइरन एण्ड स्टील कं.लि .
	एकीकृत इस्पात संयंत्र	अतिबीर इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड
	शिवम आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, गिरिडीह, झारखंड को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के उल्लंघनों का नियमितीकरण	शिवम आइरन एण्ड स्टील कं.लि .
	मैसर्स अतिबीर इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड के मौजूदा स्पंज आयरन प्लांट का 35,640 पीपीए (अधिकतम के उत्पादन के लिए (1x15 एमवीए सबमर्ज्ड आर्क फर्नेस बढ़ाकर फेरो अलौय और 20 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट का विस्तार।	